राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) स.आ./चारा./09/3782-3807 जयपुर,दिनांकः 21.03.2009

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाड़मेर,बीकानेर, भीलवाड़ा,
डूंगरपुर, जैसलमेर,जालौर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही।

विषयः– अभाव संवत 2065 में पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.02.2009 में लिए गये निर्णयानुसार उपरोक्त विषय में अनुदानित दर पर पशु आहार दिनांक 15 मार्च,09 से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कृपया निम्नानुसार निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. पशु आहार अनुदान अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषकों के पशुओं को प्राथमिकता पर स्वीकृत किया जाए, इसके उपरान्त सामान्य श्रेणी के पशुपालकों के पशुओं को स्वीकृति दी जाए। क्योंकि उक्त योजना का लाभ विशेष रूप से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियॉ ही प्राप्त करने में सफल रहती है।

2. उक्त श्रेणी के सभी पशुपालकों के पास उपलब्ध तीन पशुओं की मांग में से एक पशु को तथा इससे अधिक पशु होने की सिथति में दो पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाए।

3. अनुदानित दर पर पशु आहार का वितरण पंचायत राज संस्थाओं/ सहकारी सस्थाओं/ ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाए।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पशु आहार अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/ राजफैड द्वारा निर्मित पशु आहार ही उपलब्ध कराया जाए।

5. पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध करायेजाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस पशुपालक के पशु उस क्षेत्र में संचालित पशु शिविर के माधम से तो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं अर्थात पशु पालक के पशु को एक ही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाए।

6. अनुदानित दर पर पशु आहार अनुदान 4/– रूपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो आहार प्रति पशु प्रतिदिन की दर से देय होगा अर्थात 8/– रूपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रतिपशु प्रतिदिन की दर से देय होगा। संबंधित जिला कलेक्टर्स जिले की पशु आहार की आवश्यकता की मांग आर.सी.डी.एफ./राजफैड को मांग प्रेषित करेंगे तथा पशु आहार की आपूर्ति आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7. जिला कलक्टर समय समय पर पशु आहार की जॉच करायेगें और सुनिश्चित करेगे कि अच्छी किस्म का पशु आहार ही पशुपालको को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिमाह सरकार को इस संबंध में सूचना देगे।

8. पशु पालको को उनके पशुओ के लिए पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर के निर्देशन में तहसीलदार कार्ड जारी करेगें। पशु आहार उन्ही कार्डस पर दिया जाएगा।

9. पशु आहार वितरण करने वाली संस्था द्वारा अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वितरित किए गए पशु आहार का बिल संबंधित जिला कलक्टर को पेश किया जायेगा, जिला कलक्टर स्वय की संतुष्टि के पश्चात् संस्था को अनुदान का भुगतान करेंगे।

10. पशु आहार वितरण लेखों की जांच व ऑडिट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अथवा सहायता विभाग की ऑडिट पार्टी द्वारा किया जा सकेगा ।

11. उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय अकाल राहत समीक्षा समितियों की बैठक में की जाएगी । इस योजना का समुचित प्रचार भी किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 7 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु आहार वितरण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

21/2/09

शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राज0, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
6. प्रबन्ध संचालक, राज.राज्य सहकारी डेयरी फैडरेशन,राज0,जयपुर/प्रबन्ध संचालक, राज. कय-विकय संघ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलक्टर्स की मांग के अनुरूप पशु आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करावें।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव